

संख्या: 415 / 18 / लेखा-1 / 2017

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश
(लेखा अनुभाग-1)

आवश्यक सूचना

उत्तर प्रदेश के मा0 भूतपूर्व सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके अनुमन्य रेल कूपनों में से कूपन वर्ष 2025-26 हेतु प्रपत्र ड.ड.ड. में दिनांक 01 जून, 2026 से 31 अगस्त, 2026 के मध्य अपना विकल्प देने पर उनके निजी वाहन के लिए पेट्रोल/डीजल हेतु अवशेष धनराशि में से अधिकतम 1,00,000/- (एक लाख रुपये) से अनधिक की धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त प्रपत्र भरने की तिथि दिनांक 01 जून, 2026 से 31 अगस्त, 2026 के मध्य है। अतः सभी मा0 भूतपूर्व सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त तिथि के अर्न्तगत विधान सभा सचिवालय के लेखा अनुभाग-1 में उक्त फार्म को भरने हेतु बैंक की पासबुक के साथ सम्पर्क करें ताकि अनुमन्य धनराशि को सदस्यों के खातों में अंतरित किया जा सके। दिनांक 31 अगस्त, 2026 की अवधि बीत जाने के बाद डीजल प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जा सकेंगे एवं अनुमन्य डीजल की धनराशि का भुगतान नियमानुसार देय नहीं होगा।

दिनांक: 01.06.2026

(अनुज कुमार पाण्डेय)

उप सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी

“प्रपत्र ड•ड•ड•

(नियम 19 ग देखिये)

1. भूतपूर्व सदस्य का नाम----- (भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा/
भूतपूर्व सदस्य, विधान परिषद)

2. जिला-----

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अपने निजी वाहन का उपयोग किया है।

मैं विकल्प देता/देती हूँ कि कूपन वर्ष -----के दौरान मुझे दिये जाने वाले रेल कूपनों में से मेरे निजी वाहन के लिए पेट्रोल या डीजल हेतु सम मूल्य के रेल कूपनों के बजाय इस वर्ष मुझे -----रूपये नकद दिया जाय ।

हस्ताक्षर-----

दिनांक-----”

बैंक का नाम/शाखा-----

बैंक खाता संख्या-----

आई0एफ0एस0सी0 कोड-----

बैंक का पूरा पता, जनपद -----

मोबाईल नं0-----